किरेन रीजीजू
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.362.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** --(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2017 है।

(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
प्रयोगशाला सहायक	6* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के मध्य (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के

					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ विज्ञान में स्नातक या समतुल्य; अथवा (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल इंजीनियारी या मैकेनिकल इंजीनियरी या इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी या उत्पादन या औद्योगिक इंजीनियरी में तीन वर्ष का नियमित डिप्लोमा या समतुल्य। वांछनीय: निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी: (i) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सरकारी संस्था या मान्यता प्राप्त संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में प्रयोगशाला कार्य का अनुभव हो: अथवा (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाणपत्र (iii) राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम पास किया हो। **टिप्पण1-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यिर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	**सीधी भर्ती द्वारा :-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त संस्था या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा (ii) जिन्होंने स्तर-4 (25500-81100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय कन्फर्मेशन कमैटी (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्निलखित होंगे :- 1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, सिविल सुरक्षा और होमगार्ड **–अध्यक्ष** 2. अग्निशमन सलाहकार अथवा उपमहानिदेशक (होमगार्ड) **– सदस्य;** और 3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर **– सदस्य**	लागू नहीं होता।

AUTHENTICATED BY
KIREN RIJIJU
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

[फा. सं. I-12014/01/2015-प्रशा. (सीडी)]

गौतम घोष, निदेशक

New Delhi, the 3rd November, 2017

G.S.R.362.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Laboratory Assistant in the National Fire Service College, Nagpur under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (a) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur (Laboratory Assistant) Recruitment Rules, 2017.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix .-** The number of the posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laboratory Assistant	6*(2017) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group `C`, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5, (Rs.29200-92300)	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of Probation, If any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential.- (a) Bachelor of Science with Physics, Chemistry and Mathematics subjects from a recognised University or equivalent; or (b) three years regular Diploma in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electrical Engineering	Not applicable	Two years	By direct recruitment.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation.

or Production or Industrial Engineering from a recognised University or Institution or Board of Technical Education or equivalent. **Desirable.-** Candidate possessing any one of following qualifications shall be given preference: (i) Laboratory work experience in relevant field in Government Institution or Institution recognised by Central or State Government ; or (ii) Certificate in Computer application from a recognised Institute; or (iii) Pass sub-Officers Course from National Fire Service College, Nagpur. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation:- Officers of Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised research Institutions or Semi- Government or statutory or autonomous organizations. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-4, (Rs.25500-81100) ; and (b) Possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) Consisting of :** 1. Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guards -Chairperson; 2. Fire Advisor or Deputy Director General (Home Guards) -Member ;and 3. Director, National Fire Service College, Nagpur -Member.	Not applicable.

Note 1.- The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation spent in any other another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation(including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. I-12014/01/2015-Ad (CD)]

GOUTAM GHOSH, Director

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 363.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और निदेशक और सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और निदेशक तथा सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती(संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और निदेशक और सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर या उससे संलग्र वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और निदेशक और सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्यांक 1 के सामने, प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी और निदेशक से संबन्धित पद के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु)";